

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक / / 2026

विषय : डा० मनोहर लाल, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986 पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के ज्ञाप संख्या-1597(25), दिनांक-03.08.2026 के आलोक में डा० मनोहर लाल, सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को उनके अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० मनोहर लाल का सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2025 है।

(3) डा० मनोहर लाल द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-26.12.2021 के उपरान्त उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए हैं (छायाप्रति सलग्न)।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः सतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० मनोहर लाल, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिन के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र प्राचार्य-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-47/2026-

2102(2)

पटना, दिनांक 1/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० मनोहर लाल, सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना पत्राचार का पता-फ्लैट नं०-204, वृन्दावन अपार्टमेंट, फेज-2, मलाहीपकडी, पो०-कंकडबाग, थाना-पत्रकार नगर, जिला-पटना, पिनकोड-800020/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. K. 01/09/26
सरकार के उप सचिव।

f